



कार्यालय मेला प्रकोष्ठ नगर निगम, कोटा उत्तर/दक्षिण, राजस्थान

राजीव गांधी भवन, दशहरा मैदान, सी.ए.डी. सर्किल कोटा

email : nnkota@gamil.com, nnksouth@gmail.com,

websites : www.kotamc.org, www.urban.rajasthan.gov.in/nnks, Ph.: 0744-2502142



क्रमांक : ननिको/दक्षिण/मेला प्रकोष्ठ/2024/ 1133 - 1146

दिनांक :- 4/10/24

--: सूचना :-

राष्ट्रीय मेला दशहरा - 2024 के अवसर पर किसान रंगमंच पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक संस्थाएँ दिनांक 05.10.2024 से दिनांक 08.10.2024 तक आवेदन पत्र, नियम एवं शर्तें नगर निगम, कोटा उत्तर/दक्षिण की website : <http://urban.rajasthan.gov.in.nnks>, <http://sppp.raj.nic.in>, www.kotamc.org से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क 500/- की जमा की रसीद संलग्न कर राजीव गांधी भवन कमरा नम्बर 216 "B" ब्लॉक प्रथम तल कार्यालय नगर निगम, कोटा उत्तर/दक्षिण में निर्धारित दिनांक 08.10.2024 तक जमा कराना होगा तथा प्राप्त आवेदनों का साक्षात्कार (ऑडिशन) दिनांक 10.10.2024 को प्रातः 11:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक "A" ब्लॉक - बैसमेंट स्थित हॉल में कार्यालय नगर निगम, कोटा उत्तर/दक्षिण में लिया जाएगा। निर्धारित अवधि के उपरान्त किसान रंगमंच पर प्रस्तुति हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्र/आवेदनो पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अतिरिक्त आयुक्त एवं मेला अधिकारी
नगर निगम, कोटा उत्तर/दक्षिण

क्रमांक : ननिको/दक्षिण/मेला प्रकोष्ठ/2024/ 1133- 1146
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 4/10/24

1. श्रीमान् महापौर महोदय, नगर निगम, कोटा दक्षिण/उत्तर।
2. श्रीमान् उपमहापौर महोदय, नगर निगम, कोटा दक्षिण/उत्तर।
3. श्रीमान् नेता प्रतिपक्ष एवं अध्यक्ष मेला एवं अन्य उत्सव आयोजन समिति, नगर निगम, कोटा दक्षिण।
4. श्रीमान् नेता प्रतिपक्ष महोदय, नगर निगम, कोटा उत्तर।
5. श्रीमान् आयुक्त महोदय, नगर निगम, कोटा दक्षिण/उत्तर।
6. उपायुक्त (प्रथम, द्वितीय, राजस्व), नगर निगम, कोटा दक्षिण/उत्तर।
7. उपायुक्त एवं मेला प्रभारी, नगर निगम, कोटा दक्षिण।
8. अधीक्षण अभियन्ता एवं अतिरिक्त मेला अधिकारी, नगर निगम, कोटा दक्षिण।
9. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, नगर निगम, कोटा (उत्तर/दक्षिण)।
10. निजि सहायक महापौर/उपमहापौर/नेता प्रतिपक्ष/आयुक्त, नगर निगम, कोटा (उत्तर/दक्षिण)।
11. प्रोग्रामर कमरा नम्बर 325 नगर निगम, कोटा दक्षिण को भेजकर लेख है, कि नगर निगम, कोटा दक्षिण की वेबसाईड पर अपलोड करावें।
12. पुस्तकालयाध्यक्ष, नगर निगम, कोटा दक्षिण को भेजकर लेख है, कि उक्त सूचना का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर समाचार पत्रों में आज ही प्रकाशित करावें।
13. मेला प्रकोष्ठ, नगर निगम, कोटा (उत्तर/दक्षिण)।
14. सुरक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त एवं मेला अधिकारी
नगर निगम, कोटा उत्तर/दक्षिण


राष्ट्रीय मेला दशहरा-2024 मूल्य 500/-

नगर निगम, कोटा उ/द

सांस्कृतिक कार्यक्रम

किसान रंगमंच

आवेदन - पत्र



1. संस्था का नाम.....
2. स्थाई पता.....
3. संचालक का नाम.....
4. स्थाई पता.....
5. रजिस्टर्ड नं. एवं स्थापित वर्ष (यदि हो ता).....
6. अन्य स्थानों पर दिये गये कार्यक्रमों का विवरण.....
.....
7. संस्था द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम का विवरण.....
8. कार्यक्रमों की विशेषता.....
9. कार्यक्रम देने वाले कलाकारों की संख्या.....
10. कलाकारों के नाम (पुरुष).....
(महिला).....
11. वाद्य वादकों का नाम.....
12. दल के गुप फोटो की प्रति

मैंने आवेदन पत्र के साथ सलंग्न सभी नियम एवं शर्तें भली प्रकार से पढ़ ली है। नियम एवं शर्तों के अनुसार किसान रंगमंच पर कार्यक्रम देने के लिए सहमत हूँ। यदि मेरी संस्था के कलाकार कार्यक्रम के दौरान नियमों का उल्लघन करते हुये पाये गये तो नगर निगम किसान रंगमंच मेला समिति भुगतान न करने/कटौती करने/ ब्लेक लिस्ट करने के लिए स्वतंत्र है। जिसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक -.....

व्यवस्थापक

संस्था का नाम-.....

पता-

राष्ट्रीय दशहरा मेला, नगर निगम, कोटा उत्तर/दक्षिण (राज0)

स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रम किसान मंच हेतु नियम एवं शर्तें

1. आवेदन कर्ता को अपनी पहचान के रूप में लाईसेंस/फोटो पहचान पत्र/पेन कार्ड/आधार कार्ड की फोटो प्रति लगानी होगी।
2. आवेदन कर्ता को अपने राशन कार्ड की फोटो प्रति एवं स्वयं के दो फोटो संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. संस्था को कार्यक्रम भारतीय लोक संस्कृति के अनुरूप रंगमंच की गरिमा को ध्यान में रखते हुए देना आवश्यक है।
4. एक दिन में एक ही संस्था का सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा जिसकी अवधि 03 घंटे होगी।
5. कार्यक्रम का समय शाम 08:30 से 11:30 होगा।
6. संस्था को सांस्कृतिक कार्यक्रम करने का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
7. यदि कार्यक्रम के दौरान अभद्र एवं अश्लील प्रदर्शन संस्था का पाया गया तो संस्था एवं कलाकारों के भुगतान न करने/कटौती करने/संस्था को तीन वर्ष के लिए नगर निगम मंच से ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा।
8. संस्था को अपने कलाकारों एवं कार्यक्रम प्रस्तुति की तीन प्रतियाँ निगम कार्यालय में आवेदन पत्र के साथ जमा कराना आवश्यक है।
9. मंच की सामान्य व्यवस्था जैसे लाइट, माइक, निगम द्वारा की जावेगी। यदि संस्था अपना उपकरण लगाना चाहें तो पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा। जिसका भुगतान निगम द्वारा पृथक से नहीं दिया जावेगा।
10. रंगमंच एवं मेकअप रूम में कार्यक्रम देने वाले कलाकारों के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जावेगा। कलाकार के परिवार के सदस्य भी दर्शक दीर्घा में बैठेंगे।
11. कलाकारों के मंच पर आने जाने का वाहन व्यय एवं खान पान का व्यय संस्था को उठाना होगा।
12. सांस्कृतिक कार्यक्रम चयन समिति प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर जो निर्णय लेगी वह मान्य होगा। चयनित संस्थाओं को कार्यक्रम की तिथि एवं समय की सूचना पृथक से संस्था कार्यालय पर भेज दी जावेगी। निगम द्वारा दी गई तिथि एवं समय पर ही संस्था को कार्यक्रम देना होगा।
13. आपकी संस्था के किसी भी कलाकार एवं वाद्य वादक जिसका नाम प्रार्थना पत्र में अंकित है यदि एक से अधिक दल के साथ जिसका नाम प्रार्थना पत्र में पाया जाता है तो अनुबन्ध स्वतः निरस्त माना जावेगा एवं नगर निगम चयन समिति द्वारा कोई विचार नहीं किया जावेगा।
14. एक कलाकार मंच पर एक ही संस्था के साथ कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा। यदि वह कलाकार अन्य संस्था के साथ पुनः कार्यक्रम प्रस्तुत करता है तो संस्था की तय राशि में से 50% कटौती कर दी जावेगी।
15. मंच या मेकअप रूम में कार्यक्रम के दौरान किसी भी कलाकार द्वारा कोई भी नशा या मादक पदार्थ का सेवन करते पाया गया तो सुरक्षा कर्मियों द्वारा उसे तत्काल बाहर निकाल दिया जावेगा। तथा संस्था को ब्लैक लिस्टेड किया जा सकेगा।
16. संस्था के कार्यक्रम देने वाले कलाकारों के नाम लिस्ट मय हस्ताक्षर एवं पूरे दल की ग्रुप फोटो आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से जमा करानी होगी, अथवा आवेदन निरस्त माना जावेगा। सूचि संस्था के लेटर पेड पर देनी होगी।
17. कार्यक्रम वाले दिन संस्था प्रधान संस्था का लेटरपेड, मौहर एवं कलाकारों की लिस्ट एवं कार्यक्रम की लिस्ट साथ में लायें।
18. यदि कोई संस्था निर्धारित समय से पूर्व कार्यक्रम समाप्त करती है तो संस्था का भुगतान काट लिया जावेगा।
19. प्राकृतिक विपदा या अन्य कोई कारण से कार्यक्रम निरस्त होने पर संस्था को कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।

20. स्टेज की व्यवस्था को देखते हुए संस्था अपने कलाकार दल के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को अपने साथ स्टेज पर नहीं लायेगा।
21. किसी भी प्रकार की अग्रिम राशि देय नहीं होगी।
22. निगम द्वारा स्वीकृत पारिश्रमिक जो निर्धारित होगा वही देय होगा।
23. समस्त अधिकार नगर निगम मेला समिति अध्यक्ष में निहित है।
24. कानून एवं व्यवस्था की दृष्टि से दिये गये निर्देश मान्य होंगे।
25. निगम द्वारा निश्चित तिथि व स्थल पर दल को साक्षात्कार देने हेतु निर्णायक मण्डल के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक है। रंगमंच पर दिये जाने वाली प्रस्तुति/कार्यक्रम व जिन गानों पर प्रस्तुति दी जानी है। उनका नाम व कलाकारों के नाम की सूची प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अन्यथा संस्था के आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
26. संस्था का आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ही मान्य होगा। संस्था के संरक्षक निगम से आवेदन पत्र प्राप्त कर तथा पूर्ति कर निर्धारित तिथि में उक्त शर्तों की पूर्ति करते हुए नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करें ताकि संस्था के आवेदनों पर विचार किया जाकर निर्णय लिया जा सके। निर्णय की सूचना संस्था द्वारा दिये गये पते/मोबाईल नम्बर पर भिजावा दी जावेगी।

सहमति-पत्र

उपरोक्त समस्त नियम एवं शर्तें हमें मान्य हैं। उपरोक्त में से एक या एक से अधिक नियम/शर्तों का उल्लंघन करने पर निगम द्वारा हमारे विरुद्ध की गई कोई भी कार्यवाही पर हमारा उज्र मान्य नहीं होगा।

हस्ताक्षर संस्था प्रधान
मय मोहर